**The Population Control Bill, 2021**

**श्री हरनाथ सिंह यादव** (उत्तर प्रदेश) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि देश में जनसंख्या नियंत्रण के उपाय करने तथा तत्संबंधी और आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

*The question was put and the motion was adopted.*

**श्री हरनाथ सिंह यादव** : महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ।

**The Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Amendment Bill, 2021**

DR. NARENDRA JADHAV (Nominated): Sir, I move for leave to introduce a Bill further to amend the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989.

*The question was put and the motion was adopted.*

DR. NARENDRA JADHAV: Sir, I introduce the Bill.

**The Constitution (Amendment) Bill, 2020 (insertion of new Articles 12A and 12B)**

SHRI Y. S. CHOWDARY (Andhra Pradesh): Sir, I move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

*The question was put and the motion was adopted.*

SHRI Y. S. CHOWDARY: Sir, I introduce the Bill.

**The Medical Education Laws (Amendment) Bill, 2021**

SHRI P. WILSON (Tamil Nadu): Sir, I move for leave to introduce a Bill further to amend the Dentists Act, 1948 and the National Medical Commission Act, 2019.

*The question was put and the motion was adopted.*

SHRI P. WILSON: Sir, I introduce the Bill.

**The Constitution (Amendment) Bill, 2020 (substitution of new Article for Article 130)**

SHRI P. WILSON (Tamil Nadu): Sir, I move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

*The question was put and the motion was adopted.*

SHRI P. WILSON: Sir, I introduce the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Dr. Abhishek Manu Singhvi. He is not present.

**3.00 P.M.**

**The Companies (Amendment) Bill, 2019**

**डा. विनय पी. सहस्त्रबुद्धे** (महाराष्ट्र) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँः

"कि कंपनी अधिनियम, 2013 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

मान्यवर, इस विधेयक को आज सदन के सम्मुख लाते समय इसकी कुछ भूमिका है, जिसको मैं कम समय में स्पष्ट करना चाहता हूँ। हम सब जानते हैं कि स्वाधीनता के 75वें वर्ष में हम "आज़ादी का अमृत-महोत्सव" मना रहे हैं। अगर हम एक कटाक्ष डालते हैं कि स्वाधीनता के बाद हमें किन चीज़ों में तीव्र गति से आगे बढ़ना जरूरी था, तो हमें कई चीज़ें पता चलती हैं। अगर मैं शिक्षा की बात करूँ, हमारी सांस्कृतिक विरासत के बारे में जो कदम उठाने की जरूरत थी, उनकी बात करूँ, तो इन बहुत सारे विषयों में एक दृष्टि से एक उपेक्षा का दृष्टिकोण रहा। हमने Lord Macaulay और उसके minutes की चर्चा कई बार इस सदन में भी की है और उसकी चर्चा बाहर भी होती रही है, मगर लगता है कि Macaulay की छाया से इस देश की शिक्षा व्यवस्था को बाहर लाने का जो एक बहु-प्रतीक्षित कार्य था, वह केवल नई शिक्षा नीति के कारण होने की एक आशा निर्मित हुई है, क्योंकि नई शिक्षा नीति देश की शिक्षा व्यवस्था में एक आमूल-चूल परिवर्तन करती है। उसी तरीके से, अन्यान्य विषयों में भी बहुत जरूरी था कि हम परिवर्तन का रास्ता अपनाएँ। देश का जो स्वभाव है, देश की जो प्रकृति है, देश की जो मूल पहचान है, उस रास्ते पर हम जाएँ, मगर दुर्भाग्यवश यह नहीं हुआ। ऐसी कई सारी बातें, जो स्वाधीनता के पहले थीं, उनको हमने जस-का-तस रखा और हम आगे बढ़ते गए। लोग कहने लगे कि गोरा अंग्रेज़ तो चला गया है, मगर उसकी जगह काले अंग्रेज़ ने ले ली है। यह मात्र 10 साल की बात है, उसके लिए कोई बहुत ज्यादा समय नहीं लगा। 1957 तक लोगों के अंदर यह स्वर पनपने लगा कि अंग्रेज़ तो